



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

इन्द्रावती भवन, भूतल, बी-ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

फोन न. 0771-2331317, फैक्स - 0771-2422627

Email-deshq.cg@gmail.com

क्रमांक 1764 /2023-24/आ.सां.सं./समन्वय
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09 /07/2024

समस्त संभाग / शाखा प्रभारी

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यकारी योजना – (वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम)।

-----0-----

वर्ष 2024-25 के लिए, संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम संलग्न है, तदनुसार निर्धारित तकनीकी कार्यक्रम में प्रस्तावित कार्यों एवं प्रकाशनों की समयावधि का उल्लेख किया गया है। समकों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संभाग द्वारा प्रस्तावित प्रकाशनों को नियत समयावधि में प्रकाशित किये जाने एवं निर्धारित तकनीकी कार्यों को नियत समय पर सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़

संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2024–25

संभाग – 1. जिला सांख्यिकी तन्त्र एवं सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण

- 1.1 केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन की सिफारिशों को लागू कराना, प्रगति की समीक्षा कर राज्य शासन एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली को अवगत कराना ।
- 1.2 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों के संबंध में राज्य शासन तथा केन्द्र शासन में समन्वय स्थापित करना एवं समय-समय पर विभाग की गतिविधियों की वांछित जानकारी राज्य शासन को प्रदाय करना ।
- 1.3 महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, वित्त एवं विभागीय मंत्री के अभिभाषण हेतु लेख/जानकारी तैयार कर राज्य शासन को प्रदाय करना ।
(समयावधि 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं बजट सत्र पूर्व)
- 1.4 संचालनालय एवं जिला स्तरीय वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम 2024–25 तैयार कर सर्व-संबंधितों की ओर संप्रेषित करना ।
(समयावधि अप्रैल 2024)
- 1.5 विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 तैयार कर राज्य शासन को संप्रेषित करना ।
(समयावधि जनवरी, 2025)
- 1.6 जिलों से अर्द्धवार्षिक तकनीकी प्रगति प्रतिवेदन माह सितम्बर 2024 तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च, 2025 प्राप्त करना तथा संबंधित अधिकारियों को टीप सम्प्रेषित करना ।
(समयावधि अक्टूबर 2024/अप्रैल 2025)
- 1.7 जिलों के विविध वार्षिक सांख्यिकी पत्रक (वाणिज्य/विक्रय कर, आबकारी, पंजीयत लिखित, अल्प बचत, दुकान स्थापना, भू-राजस्व, मुद्रांक, मुद्रण, स्वास्थ्य समंक इत्यादि) प्राप्त कर संधारण करना तथा संबंधित अधिकारियों को टीप सम्प्रेषित करना ।
(समयावधि अप्रैल 2025)
- 1.8 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों (खण्ड स्तरीय अन्वेषकों सहित) के कार्य आबंटन आदेशों का संधारण करना ।
(समयावधि अप्रैल 2024)
- 1.9 भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी (वर्ष 2023–24) का एकत्रीकरण एवं परिनिरीक्षा पश्चात् राष्ट्रीय भवन एवं गृह निर्माण संगठन नई दिल्ली की ओर ऑनलाईन संप्रेषित करना ।
(समयावधि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक)
- 1.10 राज्य शासन के अन्य विभागों में कार्यरत सांख्यिकी अमले को सांख्यिकी कार्य संपादन में अपनाई जा रही विभिन्न सांख्यिकी गतिविधियों यथा –सांख्यिकी संकलन सारणीयन एवं प्रतिवेदन तैयार करने आदि कार्यों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से समय समय पद आवश्यक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना ।
(आवश्यकतानुसार)

- 1.11 केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न प्रशिक्षण सस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन कर, प्रशिक्षण में भेजना ।
(आवश्यकतानुसार)
- 1.12 संचालनालय एवं जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आवश्यकतानुसार विविध विभागीय प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना ।
(आवश्यकतानुसार)

संभाग-2. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण प्रकाशन एवं पुस्तकालय

- 2.1 छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के प्रकाशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों /संभागों से पत्र व्यवहार करना तथा प्राप्त जानकारी का परीनिरीक्षण, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन कार्य कर विधानसभा के बजट सत्र हेतु समयावधि में प्रकाशन तैयार करना ।
(समयावधि जनवरी 2025)
- 2.2 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 31 मार्च 2022 की स्थिति में जिले के समस्त शासकीय कार्यालय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय , प्राधिकरण, अभिकरण, अधिकरण, मण्डल, निगम एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी संकलित कर, विभागीय डाटाबेस में अद्यतन कर, डाटा का सत्यापन पश्चात् राज्य स्तरीय प्रकाशन तैयार करना ।
(समयावधि मार्च 2025)
- 2.3 जिला स्तरीय प्रकाशन (जिला सांख्यिकी पुस्तिका एवं जनपदीय सामाजिक आर्थिक समंक विवरणिका) को समयावधि में प्राप्त करना ।
(समयावधि –फरवरी 2025)
- 2.4 छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप 2023-24 का प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित करना ।
(समयावधि अप्रैल 2025)
- 2.5 छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2022-23 का प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित करना ।
(समयावधि अप्रैल 2025)
- 2.6 राज्य स्तरीय प्रकाशनों के मुद्रण की व्यवस्था करना ।
- 2.7 प्रकाशनों के संवितरण की व्यवस्था करना ।
- 2.8 मूल्यवान प्रकाशनों के विक्रय की व्यवस्था करना ।
- 2.9 सांख्यिकी प्रकाशनों/पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं के क़य की व्यवस्था करना ।
- 2.10 उपलब्ध प्रकाशनों/पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं को संचालनालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य वितरण करना ।
- 2.11 प्रकाशनों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना ।
- 2.12 शोध छात्रों /सांख्यिकी उपयोगकर्ताओं को सांख्यिकी प्रकाशन प्रदान करना ।
- 2.13 छत्तीसगढ़ की शासकीय डायरी 2025 हेतु राज्य की सामान्य प्रमुख जानकारी एवं चुने हुए विषयों की जानकारी तैयार कर शासकीय मुद्राणालय को समयावधि में प्रेषित करना ।
(समयावधि नवम्बर 2024)

प्रकाशन संभाग के निर्धारित प्रकाशन –

क्र.	विषय	वर्ष	समय-सीमा
1	छ.ग.सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2023–24	2023–24	अप्रैल 2025
2	छ.ग.एक दृष्टि में वर्ष 2022–2023	2024	अप्रैल 2025

संभाग –3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण:-

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संभाग द्वारा समस्त कार्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशन में किया जाता है ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) से आगामी 80 वें दौर का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ की सूचना अप्राप्त है । प्राप्ति उपरांत निर्देशानुसार तकनीकी कार्यक्रम तैयार किया जावेगा ।

संभाग – 4. राज्यीय आय,लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण तथा पूंजी निर्माण

4.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान 2022–2023 (प्रावधिक) 2023–24 (त्वरित) एवं 2024–25 (अग्रिम) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुरूप क्रमशः कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का तैयार करना ।

(समयावधि जनवरी 2025)

4.2 जिला कार्यालयों के माध्यम से कृषि फसलों के प्रक्षेत्रीय/मंडी की साप्ताहिक भाव की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण करना ।

4.3 जिला कार्यालयों के माध्यम से मत्स्य की मासिक थोक/फुटकर मूल्य की मासिक जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण करना ।

4.4 जिला कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2023–24 की वन उपज की वार्षिक जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर द्वारा प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण करना ।

(समयावधि अक्टूबर 2024)

4.5 जिला कार्यालयों के माध्यम से पशुधन एवं कुक्कुट उत्पादन की त्रैमासिक भाव की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा तीन माह पश्चात् 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण करना ।

4.6 छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2023–24 नामक प्रकाशन तैयार करना ।

(समयावधि जून 2024)

4.7 जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2019–20 नामक प्रकाशन तैयार करना ।

(समयावधि सितम्बर 2024)

- 4.8 राज्य शासन के बजट सत्र के पूर्व वित्त विभाग से राज्य का प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2025–26 का विवरण पत्रक प्राप्त कर “छत्तीसगढ़ आय–व्यय संक्षेप मे” 2025–26 नामक प्रकाशन तैयार कर वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रदाय कराना है।
(समयावधि वित्त विभाग छ.ग. शासन के निर्देशानुसार)
- 4.9 बजट सत्र के पश्चात् राज्य शासन का वार्षिक बजट वर्ष 2024–25 (सम्पूर्ण अनुदानों की मांगों) की पुस्तिकाएं वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुरूप आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण कर वर्ष 2022–23 (लेखा), 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान), एवं 2024–25 (बजट अनुमान) की आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।
(समयावधि नवम्बर 2024)
- 4.10 राज्य की वार्षिक बजट वर्ष 2023–24 का आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2021–2022 (लेखा), 2022–23 (पुनरीक्षित अनुमान), एवं 2023–24 (बजट अनुमान) नामक प्रकाशन तैयार करना।
(समयावधि अगस्त 2024)
- 4.11 स्थानीय नगरीय निकायों (समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) के वार्षिक 2024–25 की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण कर वर्ष (2020–2021 (लेखा), 2021–22 लेखा लंबित) 2022–23 (लेखा), 2023–24 (पुनरीक्षित), एवं 2024–25 (बजट अनुमान) की जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर द्वारा प्राप्त कर राज्य स्तरीय कम्पाईलेशन पश्चात् आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।
(समयावधि दिसम्बर 2024)
- 4.12 स्थानीय ग्रामीण निकायों (समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत) की वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 (लेखा) लंबित का अडिट के दौरान तैयार की गई आय–व्यय पत्रक की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण की जानकारी ऑनलाईन साफ्टवेयर द्वारा प्राप्त कर राज्य स्तरीय कम्पाईलेशन पश्चात् आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।
(समयावधि दिसम्बर 2024)
- 4.13 समस्त स्थानीय नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) से नियोजन एवं परिलाभ की जानकारी 2020–21, 2021–22 लंबित एवं वर्ष 2022–23, 2023–24 की समस्त जिला योजना कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त करना तथा निकायों अनुसार कम्पाईलेशन करना।
(समयावधि नवम्बर 2024)
- 4.14 राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं से वार्षिक बजट वर्ष 2024–25 संबंधित जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करना। प्राप्त जानकारी का आर्थिक उददेश्यवार वर्गीकरण कर आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना। साथ ही

वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 लंबित जानकारी का संकलन करना।

(समयावधि दिसम्बर 2024)

संभाग –5 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक एवं वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

- 5.1 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) आधार वर्ष 2011–12 अनुसार तैयार करने हेतु चयनित औद्योगिक ईकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त करना।

(समयावधि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक)

- 5.2 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) के संबंध में आयटम बास्केट अनुसार जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों/उत्पादन ईकाईयो से प्राप्त मासिक उत्पादन की पूर्ण जानकारी के आधार पर सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि दिसम्बर 2024)

- 5.3 विद्युत क्षेत्र की मासिक उत्पादन जानकारी प्राप्त करना तथा उत्पादन सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक)

- 5.4 खनिज क्षेत्र की मासिक उत्पादन जानकारी प्राप्त करना तथा उत्पादन सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक)

- 5.5 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त उद्योगों की सूची अनुसार जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कर राज्य स्तरीय लेखा प्रतिवेदन तैयार करना।

(समयावधि दिसम्बर 2024)

5.4 निर्धारित प्रकाशन

स.क्र.	विषय	वर्ष	समय सीमा
1.	छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान	2011–12 से 2023–24 (अग्रिम)	जून 2024
2.	आय –व्यय संक्षेप में	2025–2026	वित्त विभाग के निर्देशानुसार
3.	राज्य शासन के वार्षिक बजट का आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण	2023–24	अगस्त 2024

संभाग–6 जीवनांक

- 6.1 राज्य स्तरीय मासिक जीवनांक प्रतिवेदन का निगरानी करना।

(समयावधि प्रतिमाह 10 तारीख तक)

- 6.2 वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2023 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।

(समयावधि जुलाई 2024)

- 6.3 मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (MCCD) रिपोर्ट वर्ष 2023 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।
(समयावधि जुलाई 2024)
- 6.4 प्रत्येक जिले के न्यूनतम 10 ग्रामीण एवं 10 नगरीय/संस्थागत ईकाईयों का निरीक्षण संचालनालय के अधिकारियों द्वारा किया जाना एवं सुझाव /टीप के पश्चात् निरीक्षण टीप प्रस्तुत करना।
(समयावधि दिसम्बर 2024)
- 6.5 जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा किए गये निरीक्षणों के प्रतिवेदन का परिक्षण जीवनांक संभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना।
(समयावधि प्रतिमाह)
- 6.6 जीवनांक प्रपत्रों का मुद्रण एवं जिलों को आवश्यकतानुसार आपूर्ति करना।
- 6.7 राज्य स्तरीय अर्न्तविभागीय समन्वय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करना।
- 6.8 वर्ष 2024 में शत-प्रतिशत पंजीयन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयास करना।
- 6.9 जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969, 2023 (संशोधित) के कार्यक्रम पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।
(समयावधि –जुलाई 2024)
- 6.10 जीवनांक पंजीयन ईकाईयों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।
- 6.11 वर्ष 2008 से पूर्व विधिक भाग के स्केनिंग /फोटो फिल्मिंग करवाने की कार्यवाही करना।
- 6.12 जीवनांक कार्य में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन वेबपोर्टल पर पंजीयन नियम/अधिनियम पर प्रशिक्षण एवं चिकित्सकों एवं कोडकर्ताओं को ICD-10 तथा मृत्यु के कारणों से संबंधित प्रपत्रों की प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
(समयावधि –आवश्यकतानुसार)

संभाग –7 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना

- 7.1 विभागाध्यक्षों से 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा परीनिरीक्षण कर राज्य स्तरीय संकलित त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार कर नियत समय पूर्व भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय नई दिल्ली की ओर भेजना, साथ ही विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त त्रैमासिक प्रतिवेदनों का संधारण करना।
(समयावधि –प्रत्येक त्रैमास)
- 7.2 मान. उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित उपसमिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
(समयावधि –प्रत्येक त्रैमास)
- 7.3 मान.मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समीक्षा समिति बैठक आयोजन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
(समयावधि –प्रत्येक छमाही)

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

- 7.1 संचालनालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही संपन्न करना।
- 7.2 जिला स्तरीय समीक्षा समिति का गठन कर निर्देशानुसार बैठकों का आयोजन करना तथा कार्यवाही विवरण प्रेषित करना।

(समयावधि –प्रत्येक त्रैमास)

- 7.3 खंड स्तरीय समीक्षा समिति का गठन कर निर्देशानुसार बैठकों का आयोजन करना। तथा कार्यवाही विवरण प्रेषित करना।

(समयावधि –प्रतिमाह)

संभाग- 8 (अ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- 8.1 मंत्रालय के साथ समन्वय और राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति का वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना।
- 8.2 डिविजनल कमिश्नर को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और जिला प्राधिकारियों को मार्गदर्शन हेतु शक्तियां प्रदान करना।
- 8.3 जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा।
- 8.4 जिला प्राधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना।
- 8.5 जिला प्राधिकारियों के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण के लिये प्रबंध करना।
- 8.6 उपसचिव/कार्यपालक इंजीनियर पद के समकक्ष के अधिकारियों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करना।
- 8.7 महालेखाकार के परामर्श, प्रत्येक जिला प्राधिकारी के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी लेखों की लेखा परीक्षक नियुक्त करना।
- 8.8 राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन संबंधी डाटा अपनी वेबसाईट पर डालना।
- 8.9 राज्य सभा में सांसद सदस्यों के अव्ययित राशि का योजना के मार्गदर्शिका क्रमांक 4.8 में निर्धारित किये गये अनुसार वितरण करना।
- 8.10 नोडल जिलों से अनुबंध 6, 1993-94 से 2023-24 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्य सभा सदस्यवार मासिक जानकारी प्राप्त कर कम्पाईलेशन एवं परिनिरीक्षण कर प्रतिमाह कम्प्युटर में अद्यतन करना।
- 8.11 संचालनालय द्वारा निर्धारित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र-अ,ब एवं स वर्ष 1993-94 से 2023-24 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्य सभा सदस्यवार जानकारी समस्त जिलों से प्रतिमाह प्राप्त करना एवं कम्पाईलेशन, परिनिरीक्षण कर कम्प्युटर में संधारित करना तथा छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को प्रतिमाह भेजना।

8.12 लोक सभा /राज्य सभा के तारांकित /अतारांकित प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजना।

(ब) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

- 8.13 जिले के नोडल अधिकारी से योजना के प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विधान सभा क्षेत्रवार कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर संधारित करना।
- 8.14 विधानसभावार जानकारी का परीक्षण प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पूर्ण कर वर्षवार, जिलेवार एवं मांग संख्यावार जानकारी संकलित करना एवं संधारित करना तथा समय-समय पर समीक्षा बैठकों हेतु जानकारी तैयार करना।
- 8.15 विधानसभा के मानसून, शीतकालीन एवं बजट सत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तैयार कर शासन को प्रेषित करना।
- 8.16 बजट कटौती प्रस्ताव तैयार करना।
- 8.17 लेखाधिकारी द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन जिलों को आवंटित करना। राशि के समर्पण एवं अतिरिक्त राशि हेतु शासन से पत्र व्यवहार करना। योजनान्तर्गत राशि के अंकेक्षण के संबंध में कार्यवाही करना।
- 8.18 योजना के मार्गदर्शिका/दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन में कठिनाई होने पर जिले द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के उत्तर समय-सीमा में भेजना।
- 8.19 जिले द्वारा स्वीकृत कार्यों का मॉनिटरिंग करना।
- 8.20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधायकों द्वारा कराये जा सकने वाले कार्यों पर शासन की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण तैयार कर प्रेषित करना।

संभाग – 9. प्रशासन संभाग एवं सूचना के अधिकार

- 9.1 संचालनालय के अमले की स्थापना संबंधित समस्त कार्यों का निर्वहन करना।
- 9.2 संचालनालय स्तर से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को समय सीमा में करना।

(सेवानिवृत्ति के दो माह के अन्दर)

- 9.3 सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी अधिनियम में प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवेदक को समय सीमा में जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराना।

(RTI के नियमानुसार)